2020/00247

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना जाति मीना निवासी 7/8 गीता विहार हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 49 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 03.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि 1. पत्र क्र. नपसि/भूवि/2019/2989 दिनांक 02.08.2019 2. पत्र क्र. प.12(3)(48)/राज/2017/145–149 दिनांक 03.01.2019 3. वर्तमान समय में चल रहे न्यायालय भवनों हेतु भूमि आवंटन कब की गई व इनका आकार, क्षेत्रफल, नक्शा की प्रति 4. वर्तमान में चल रहे न्यायालय परिसर में रिक्त क्षेत्र एवं प्रयुक्त क्षेत्र को अलग–अलग अंकित कर नक्शे की प्रतिलिपी से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 03.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि 1. पत्र क्र. नपसि/भूवि/2019/2989 दिनांक 02.08.2019 2. पत्र क्र. प.12(3)(48)/राज/2017/145–149 दिनांक 03.01.2019 3. वर्तमान समय में चल रहे न्यायालय भवनों हेतु भूमि आवंटन कब की गई व इनका आकार, क्षेत्रफल, नक्शा की प्रति 4. वर्तमान में चल रहे न्यायालय परिसर में रिक्त क्षेत्र एवं प्रयुक्त क्षेत्र को अलग–अलग अंकित कर नक्शे की प्रतिलिपी से सम्बन्धित में सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम. सिरोही द्वारा [illegible] क्र. 142 दिनांक 04.08.2020 के बिन्दु सं. 1 से 3 की सूचना [illegible] दी [illegible] है तथा बिन्दु सं. 4 के सम्बन्ध में पत्र क्र. 110 दिनांक 17.07.2020 को आ[illegible] नगर पालिका सिरोही को हस्तान्तरित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। नगरपालिका से सम्बन्धित सूचना हेतु अपीलांट चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	304-5 18/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:49:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner